UPBS120003432023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

मूलवाद सं० 261/2023

द्वारिका प्रसाद बनाम दीन मौहम्मद आदि

30.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा विवादित आराजी सं० 118 रकबा एक विस्वा प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र अ, ब, स, द के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10 ग 1 द्वारा अपंजीकृत बैनामा कागज सं० 11 ग 1 दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–12.07.2023 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 8 ग 2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।